राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र
(वर्ष 2018–19 के लिए दिनांक 31 जुलाई, 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा–डा0 अनिल चन्दोला
2. संवर्ग–'क'
3. वर्तमान धारित पद–अपर निदेशक, सूचना विभाग
4. वर्तमान वेतनमान–लेवल–13 ₹ 118500–214100

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उसमें सरकारी सेवक का सम्बन्ध	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1. मोहकमपुर खुर्द, तहसील, देहरादून।	289 वर्ग मी. भूमि	डा. अनिल चन्दोला	श्री जितेन्द्र नागलिया राजा रोड देहरादून से कय की गई।	28–08–07	₹ 1.70 लाख	20 लाख	–	GPF से लोन लेकर तथा पारिवारिकजनों से लोन लेकर।
2. ग्राम–कोठड, श्रीनगर, गढ़वाल	76 वर्गमी. भूमि	उक्त भूमि पर पत्नि के नाम मकान	श्री जगदीश जोशी से वर्ष 1999 में भूमि क्रय पर उस पर मकान निर्मित।	वर्ष 1999 में भूमि क्रय कर मकान निर्मित	₹4.5 लाख	₹12 लाख	₹40 हजार	GPF से लोन तथा रिस्तेदारों से धनराशि लेकर भूमि क्रय तथा मकान निर्माण।
3. अजबपुर कलां, देहरादून	206वर्गमी. भूमि	पत्नी श्रीमती सरला चन्दोला के नाम पर	श्रीमती लक्ष्मी नेगी से क्रय की गई।	17–02–2010	₹ 5.18 लाख	मकान के लिए भूमि क्रय		GPF से लोन लेकर भूमि क्रय।
	उक्त भूमि पर मकान निर्माण	पत्नी श्रीमती सरला चन्दोला के नाम पर	मकान निर्मित किया।	17.02.2010 को भूमि क्रय कर वर्ष 2012 में मकान निर्माण	₹ 24 लाख 54 हजार मकान निर्माण	₹35 लाख	स्वयं निवास	PNB से मकान लोन तथा वचत पत्र तुड़वाकर प्राप्त धनराशि से मकान निर्माण।
4. ओम विहार, पटेलनगर, देहरादून	1390 वर्ग मी. पर 3BHK का फ्लैट	सुश्री अदीति चन्दोला D/O डा. अनिल चन्दोला	एस. के. अरोड़ा पटेलनगर देहरादून से क्रय	29–11–2016	₹42 लाख 10 हजार	₹42 लाख 10 हजार	₹1 लाख 98 हजार	SBI मातावाला ब्रांच से 33 लाख 60 हजार लोन तथा शेष पारिवारिकजनों से लोन।

स्थान:–देहरादून।
दिनांक 09.8.2019

हस्ताक्षर .....
अधिकारी का नाम–डॉ अनिल चन्दोला
पद नाम–अपर निदेशक।
विभाग –सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।

राज्याधीन सेवाओ के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र

(वर्ष 2018–19 के लिए दिनांक 31 जुलाई,2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा–राजेश कुमार
2. संवर्ग.....
3. वर्तमान धारित पद–संयुक्त निदेशक
4. वर्ममान वेतनमान लेवल–12, ₹ 78800–209200

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उसमें सरकारी सेवक का सम्बन्ध	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिमकार/उपहार /अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित ककरनें की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1.जिला गोरखपुर तहसील सदर हुमायू पुर उत्तरी	भूमि एवं भवन	पैतृक भूमि भवन	पैतृक	पैतृक	–	–	–	–
2.जिला हरिद्वार परगना ज्वालापुर हरिद्वार	भूमि 2227 वर्ग फुट आवास	स्वयं एवं पत्नि के नाम	क्रय भवन निर्माण कराया गया	₹11.10. 2002–2004	₹ 396500/– 7,00,000/–	18,00,000/–		
3.जिला हरिद्वार तहसील रूड़की	कृषि भूमि 0.238 हैक्टेयर 0.3175 हैक्टेयर	स्वयं के नाम से	क्रय तदैव	03.03.2012 03.03.2012	96000/– 1,27,000/–	1,25000/– 1,35,000/–		
4.जिला देहरादून तहसील सदर	भूमि 195.15 वर्ग मीटर आवास हेतु	स्वयं के नाम से	क्रय–भवन निर्माण किया गया। 10 लाख लोन PNB बैंक से 06 लाख GPF से आहरित।	13.02.2013	09,78,000 /–	–	–	–

स्थान:– देहरादून।
दिनांक–02–08–2019

हस्ताक्षर 02-8-19
अधिकारी का नाम–राजेश कुमार
पद नाम–संयुक्त निदेशक.
विभाग–सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

(राजेश कुमार)
संयुक्त निदेशक
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र

(वर्ष 2018–19 के लिए दिनांक 01 जनवरी,2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा–आशिष कुमार

2. संवर्ग–'क'–78800–209200 (LEVEL_12)

3. वर्तमान धारित पद–संयुक्त निदेशक

4. वर्तमान वेतनमान लेवल–12 ₹ 78800–209200

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उसमें सरकारी सेवक का सम्बन्ध	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिमकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1.तहसील जीयनपुर	0.68 है	पैतृक	पैतृक		–	₹ 15 लाख	–	–
2. खर्राराष्ट्रीयपुर आजमगढ	आवास	पैतृक	पैतृक			₹ 2 लाख		
3.तहसील सदर राहुलनगर आजमगढ़।	आवास	पैतृक	पैतृक			₹ 15 लाख		

स्थानः–देहरादून।

दिनांक –29–08–2019....

हस्ताक्षर .....

अधिकारी का नाम–आशिष कुमार त्रिपाठी

पद नाम–संयुक्त निदेशक

विभाग–सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।

टिप्पणीः–

5. क्षेणी 'क' 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य क्षेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
6. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अधिक्य/कमी हुई हो तो तद्नुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाए और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
7. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैअ/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक–पृथक अंकित करते हुए तद्नुसार स्तम्भ 6 में भमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाय।
8. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र
(वर्ष 2018–19 के लिए दिनांक 31 जुलाई 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा–योगेश मिश्रा
2. संवर्ग–द्वितीय
3. वर्तमान धारित पद–उपनिदेशक मीडिया सेन्टर हल्द्वानी
4. वर्तमान वेतनमान– लेवल–11 ₹ 67700–208700

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार /अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित कीले की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु०)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु०)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1.शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2एक मकान पैतृक है जो कि माता जी सेवानिवृत्त अध्यापिका श्रीमती सरला मिश्रा के नाम से 1914 वार्ड न0 13 आदर्श कालोनी रुद्रपुर में है।								

स्थान– हल्द्वानी नैनीताल
दिनांक–02–08–2019

हस्ताक्षर ____________
अधिकारी का नाम–योगेश मिश्रा
पद नाम–उपनिदेशक मीडिया सेन्टर हल्द्वानी
विभाग–सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।

DEPUTY DIRECTOR/
DISTRICT INFORMATION OFFICER
NAINITAL

टिप्पणी–

1. श्रेणी 'क' 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त किया जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाए और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक–पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

DEPUTY DIRECTOR/
DISTRICT INFORMATION OFFICER
NAINITAL

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र

(वर्ष 2018–19 के लिए दिनांक 31 जुलाई,2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा–के.एस. चौहान
2. संवर्ग–मिनिस्ट्रीयल संवर्ग
3. वर्तमान धारित पद–उप निदेशक
4. वर्मंमान वेतनमान– लेवल–11 ₹ 67700–208700

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उसमें सरकारी सेवक का सम्बन्ध	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिमकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1.केदारवाला विकासनगर देहरादून	भूमि 0.3240 है	स्वयं	क्रय की गई	31.3.2004	01 लाख 10 हजार	5 लाख लगभग	NIL	–
2. विजय पार्क एक्सटेंशन देहरादून	222.96 (वर्ग फिट)निर्मित क्षेत्र 209.18 वर्ग	स्वयं	क्रय की गई	8.11.2006	17 लाख	30 लाख	NIL	–

स्थानः–देहरादून।

दिनांकः–29–08–2019....

हस्ताक्षर .....

अधिकारी का नाम–के.एस. चौहान

पद नाम–उप निदेशक

विभाग–सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।

टिप्पणीः–

9. क्षेणी 'क' 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य क्षेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
10. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अधिक्य/कमी हुई हो तो तद्नुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाए और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
11. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फलैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक–पृथक अंकित करते हुए तद्नुसार स्तम्भ 6 में भमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाय।
12. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र
(वर्ष 2018–19 के लिए दिनांक 31 जुलाई,2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा–नितिन उपाध्याय
2. संवर्ग–सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग
3. वर्तमान धारित पद–उप निदेशक
4. वर्तमान वेतनमान– लेवल–11 ₹ 67700–208700

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उसमें सरकारी सेवक का सम्बन्ध	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिमकार/उपहार /अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित कीले की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1.ग्राम एवं पो. बख्शा जौनपुर उ. प्र.	लगभग 0.37 हे. कृषि भूमि	नितिन उपाध्याय (स्वयं)	उत्तराधिकार	वर्ष 2000	NIL	N/A	N/A	गतवर्ष की भांति
2केदारपुरम मोथरोवाला देहरादून	स्वयं का आवास 0.0171 हे. भूमि पर	नितिन उपाध्याय (स्वयं)	होम लोन देना बैंक माजरा देहरादून	वर्ष 2017	N/A	N/A	N/A	गतवर्ष की भांति

स्थानः –देहरादून।
दिनांक–26–08–2019

हस्ताक्षर .....26/8/19.....
अधिकारी का नाम–नितिन उपाध्याय
पद नाम– उप निदेशक
विभाग–सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।

टिप्पणीः–

5. क्षेणी 'क' 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य क्षेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
6. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अधिक्य/कमी हुई हो तो तद्नुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाए और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
7. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैअ/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक–पृथक अंकित करते हुए तद्नुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाय।
8. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

रज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र
(वर्ष 2018–19 के लिए दिनांक 31 जुलाई ,2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा – मनोज कुमार श्रीवास्तव ..
2. संवर्ग–.सूचना (ख)
3. वर्तमान धारित पद – सहायक निदेशक
4. वर्ममान वेतनमान –5400–ग्रेड पे

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उसमें सरकारी सेवक का सम्बन्ध	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिमकार/उपहार /अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित कीले की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. हरिद्वार	फ्लैट100 वर्ग मी.	मनोज श्रीवास्तव	पैतृक सम्पत्ति विक्रय से प्राप्त	सिम्बर 2015	16.00 लाख	25 लाख	शून्य	–
2. हरिद्वार	भूमि 104 वर्ग मी.	रश्मि श्रीवास्तव (पत्नी)	पैतृक सम्पत्ति से प्राप्त आय	जून 2014	3.40 लाख	4 लाख	शून्य	–

स्थानः .....देहरादून.....
दिनांक ....16–08–2019....

हस्ताक्षर 16/8/2019
अधिकारी का नाम – मनोज कुमार श्रीवास्तव
पद नाम –सहायक निदेशक..
विभाग –सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग...

टिप्पणीः–

1. क्षेणी 'क' 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य क्षेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाए और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैअ/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक–पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र
(वर्ष 2018–19 के लिए दिनांक 31 जुलाई,2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा–रवि बिजारनियां
2. संवर्ग–सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग
3. वर्तमान धारित पद–सहायक निदेशक
4. वर्ममान वेतनमान– 56100–177500

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उसमें सरकारी सेवक का सम्बन्ध	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिमकार/उपहार /अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1.Village Danda Dhoran, Distt. Dehradun	Plot 249.79 sq mt	self	purchase	2013	16,50, 000/-		–	taken loan(10.22lakh) fram LIC HFL
2.Mussorriee Road Mauza Banrail.	One BHK Flat 74.35 sq mt.	self	purchase	2019	32,09, 00/-		–	House loan of rs 29 lakh fram SBI

स्थानः –देहरादून।
दिनांक–08–08–2019

हस्ताक्षर ....
अधिकारी का नाम–रवि बिजारनियां
पद नाम– सहायक निदेशक
विभाग–सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

टिप्पणीः–

1. श्रेणी 'क' 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अधिक्य/कमी हुई हो तो तद्नुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाए और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक–पृथक अंकित करते हुए तद्नुसार स्तम्भ 6 में भमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष 2018-19 के लिए दिनांक 31 जुलाई 2018 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा: प्रकाश सिंह भण्डारी   2. संवर्ग: राजकीय सेवा ... संवर्ग-ख

3. वर्तमान धारित पद: जिला सूचना अधिकारी   4. वर्तमान वेतनमान: 63001— (56100-177500) Level-10

जिले/तहसील का गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
...म एवं पो० ओ० ...चोली	आवास पुराना 500 वर्गमी	पैत्रिक (श्री चन्द्र सिंह) भाई	पैत्रिक सम्पत्ति (पिता स्व. श्री [illegible] सिंह के निधन उपरान्त)	1995	1 लाख	2 लाख	शून्य	(भाई का परिवार निवासरत)
...ल एवं ...ला ...रागढ़	आवास निर्माणाधीन 1000 व.मी.	स्वयं	— निर्माण कार्य	2018	15 लाख	15 लाख	शून्य	(निर्माण कार्य चालू)

स्थान: देहरादून

दिनांक: 31/8/2019

हस्ताक्षर: [signature]

अधिकारी का नाम: प्रकाश सिंह भण्डारी

पद नाम: जिला सूचना अधिकारी

विभाग: सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड

टिप्पणी:

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति ... अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जा...
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य ... उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जा...
- यदि सम्पत्ति निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया...
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति ... की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण
(वर्ष 2018-19 के लिए दिनांक 31 जुलाई, 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा गोपालसिंह राणा, 2. संवर्ग समूह "ख"
3. वर्तमान धारित पद मुख्य प्रशासनिक अधिकारी 4. वर्तमान वेतनमान ₹ 56100 — 1,77,500 (Level-10)

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1- जिला चमोली तहसील थराली ग्राम- बाँक, पोस्ट मुन्दोली, उत्तराखण्ड	01.67 हैक्टर कृषि भूमि एवं पैतृक भवन/आवास	(पैतृक) भाइयों में अविभाजित,	पैतृक सम्पत्ति	—	—	—		वर्तमान में पैतृक सम्पत्ति भाइयों में अविभाजित है।
2- देहरादून, तहसील-ऋषिकेश, रानीपोखरी उत्तराखण्ड	180 वर्ग गज आवासीय भूखण्ड	स्वयं के नाम (गोपालसिंह राणा)	श्री विकास डिनियाल, देहरादून से	नवम्बर, 2018	₹ 10 लाख	₹ 10 लाख	—	PNB Housing Loan Rs. 8,00,000/- (आठ लाख) से क्रय किया गया है,

स्थान : देहरादून
दिनांक 02/08/2019

हस्ताक्षर [signature]
अधिकारी का नाम गोपालसिंह राणा
पद नाम मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
विभाग सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून,

टिप्पणी :
1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक–पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

...... सरकार का शासन
द्वारा लिए गये उपरोक्त निर्णय से अवगत कराते हुए आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र
(वर्ष 2018–19 के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा चन्द्रसिंह तोमर
2. संवर्ग मिनिस्ट्रीयल
3. वर्तमान धारित पद वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
4. वर्तमान वेतनमान 47600–151100 (Level 08)

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
बालाजी विहार तहसील विकासनगर देहरादून।	240 स्क्वै.	स्वयं	क्रय	दिसम्बर 2015	6.70 लाख	–	–	

स्थान : देहरादून
दिनांक : 29/8/19

हस्ताक्षर [signature] 29/8/19
अधिकारी का नाम चन्द्रसिंह तोमर
पद नाम वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
विभाग सूचना निदेशालय देहरादून।

टिप्पणी :
1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक–पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण

(वर्ष ...... के लिए दिनांक 01 जनवरी ...... की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा: मोहन सिंह रावत

2. संवर्ग: 'ख'

3. वर्तमान धारित पद: वरिष्ठ प्रशा0 अधिकारी

4. वर्तमान वेतनमान: 56900-00

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सरस्वती प्रेस्ट ई-504 [illegible] देहरादून	100 गज	श्रीमती [illegible] (पत्नी)	क्रय	15-7-2016	23,00,000 स्वयं [illegible]	25,00,000 [illegible]	[illegible]	[illegible]
ग्राम [illegible]	पैतृक भूमि	स्वयं	पैतृक					

स्थान: [illegible]

दिनांक: 27/8/2019

हस्ताक्षर: [signature]

अधिकारी का नाम: मोहन सिंह रावत

पद नाम: वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

विभाग: [illegible]

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक–पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

...... कार्मिक का शासन

द्वारा लिए गये उपरोक्त निर्णय से अवगत कराते हुए आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र
(वर्ष 2018 के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा भुवन चन्द्र जोशी
2. संवर्ग लिपिकीय
3. वर्तमान धारित पद वरिष्ठ प्रशा० अधिकारी
4. वर्तमान वेतनमान 43600 – 151100–(लेवल 8)

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ग्राम-चापड़ा (धुरोली) पो०-ताकुला तहसील व जिला अल्मोड़ा	20 नाली अविभाजित	पिता जी एवं अन्य भाईयों के नाम से	पैतृक	—	—	—	—	—
भुवन चन्द्र जोशी चौफली चौक बच्चूखौड़ परगना भाबर हल्द्वानी तहसील हल्द्वानी नैनीताल	1253 वर्गफीट	स्वयं के नाम से	श्री कनेन्द्र सिंह पुत्र श्री जीत सिंह निवासी फुलचौड़ हल्द्वानी-नैनीताल	19 मई 2011	160000/- एक लाख साठ हजार	ज्ञात नहीं	—	आवास निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है।

स्थान : देहरादून
दिनांक : 27-8-2019

हस्ताक्षर (भुवन चन्द्र जोशी)
अधिकारी का नाम भुवन चन्द्र जोशी
पद नाम वरिष्ठ प्रशा० अधिकारी
विभाग सूचना एवं लो० स० वि० उत्तराखण्ड-देहरादून

टिप्पणी :
1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक–पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र

(वर्ष 2018-19 के लिए दिनांक 31 जुलाई 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा सुरेन्द्र सिंह
2. संवर्ग सूचना
3. वर्तमान धारित पद वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
4. वर्तमान वेतनमान 47600-151100

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ग्राम- दशौली पो० ऑ० नारायणकोटि तहसील भटवाड़ी जिला उत्तरकाशी उत्तराखण्ड	15 नाली	स्वयं	पैतृक	पैतृक	–	–	–	निजी प्रयोग
2- डाबर दिनेशपुर जनपद उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड	1128 वर्ग मी०	पत्नी श्रीमती भगवती देवी	क्रय श्री जगदीश सिंह कार्की	जून 2014	2,63,000/-	4,50,000/-	शून्य	निजी प्रयोग हेतु

स्थान : देहरादून

दिनांक : 06.8.2019

हस्ताक्षर सुरेन्द्र सिंह

अधिकारी का नाम सुरेन्द्र सिंह

पद नाम वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

विभाग सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक–पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र

(वर्ष 2019 के लिए दिनांक ~~01 जनवरी~~ 31 जुलाई 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा ललिता प्रसाद भट्ट   2. संवर्ग मिनिस्ट्रीयल (लिपिकीय) संवर्ग

3. वर्तमान धारित पद वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी   4. वर्तमान वेतनमान वेतन लेवल-8, वेतनमान ₹ 47600-1,51,100

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
जनपद – पिथौरागढ़, तहसील – बेरीनाग, ग्राम – ज्योग्यूडा केदार (कोटेश्वर)	भूमि एवं भवन (लगभग 20 नाली)	ललिता प्रसाद भट्ट	उत्तराधिकार	—	—	लगभग ₹ 7.90 लाख	—	—
जनपद – नैनीताल, तहसील – हल्द्वानी, ग्राम – बिठौरिया नं.-1	भूमि (245.88 वर्ग मीटर)	ललिता प्रसाद भट्ट	– क्रय – श्री भानु प्रकाश एवं श्री दिनेश चन्द्र पुत्रगण श्री त्रिभुवन चन्द्र कापिलाश्, ग्राम-बिठौरिया नं.-1 हल्द्वानी, नैनीताल	07.06.2004	₹ 1.73 लाख	लगभग ₹ 8.80 लाख	—	—
जनपद – नैनीताल, तहसील – हल्द्वानी, ग्राम – जयदेवपुर	भूमि (171.98 वर्ग मीटर)	ललिता प्रसाद भट्ट	– क्रय – श्री घनानन्द उपाध्याय एवं श्री नवीन चन्द्र उपाध्याय पुत्रगण श्री गुसाईं दत्त ग्राम-चितालीप्रथ्यी-तल्ला बिसौर तहसील - रानीखेत, अल्मोड़ा	18.06.2012	₹ 3.10 लाख	लगभग ₹ 5.85 लाख		

स्थान : देहरादून

दिनांक : 27.08.2019

हस्ताक्षर (हस्ताक्षरित) 27/08/2019

अधिकारी का नाम ललिता प्रसाद भट्ट

पद नाम वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

विभाग सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक–पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र

(वर्ष 2019 के लिए दिनांक 01 जनवरी 31 जुलाई 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा पानसिंह बिष्ट   2. संवर्ग मिनिस्टीरियल संवर्ग

3. वर्तमान धारित पद वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी   4. वर्तमान वेतनमान ₹ 52000/- लेवल-8 ₹ 47600–115000

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय / लीज / बंधक / उत्तराधिकार / उपहार / अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति / व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि / वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
लखनऊ गोमती नगर	1800 स्क्वायर फिट बाईपरिया 600 स्क्वायर	स्वयं	भवन निर्माण करने हेतु अग्रिम	1990	05 लाख			
देहरादून चकूनवाला	107 गज	पत्नी	बैंक व जी.पी.एफ तथा LIC से कर्ज लिया		27 लाख			
ग्राम - डानागाँव पो. डानाखोला जिला - अल्मोड़ा	अविभाजित 30 नाली	अविभाजित	पैतृक	पैतृक	–			

[illegible]

स्थान : देहरादून
दिनांक : 02-08-19

हस्ताक्षर पानसिंह बिष्ट
अधिकारी का नाम पानसिंह बिष्ट
पद नाम वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
विभाग सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग देहरादून

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति / नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष / प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य / कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य / कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य / कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लेट / अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक–पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र

(वर्ष 2018-19 के लिए दिनांक 31 जुलाई 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा: शंकर दत्त लोहनी
2. संवर्ग: ख
3. वर्तमान धारित पद: उप स्वास्थ्य अधिकारी
4. वर्तमान वेतनमान: ₹ 44900-142400 (Level-07)

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ग्राम व पो० ताकुला, सं० जिला, अल्मोड़ा — अनुमानित 30 नाली (अविभाजित)	अविभाजित (तीन हिस्से)	पैतृक	—	—	—	—	—	—
नोएडा किनारा ...रण गौतमबुद्धनगर ...550 — 60 वर्ग मी० भूखण्ड में अनुमानित 45 वर्ग मीटर में आवास निर्मित है	स्वयं		ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण से क्रय की गयी है,	वर्ष 2001	6 लाख अनुमानित	—	—	परिवार के प्रयोजन हेतु

स्थान : देहरादून

दिनांक : 13-08-2019

हस्ताक्षर: शं०द०लोहनी

अधिकारी का नाम:

पद नाम: (शंकर दत्त लोहनी) [illegible]

विभाग: [illegible]

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 [illegible] स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक–पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक- पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र
(वर्ष 2019 के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा केवल सिंह
2. संवर्ग तकनीकी
3. वर्तमान धारित पद फोटो फिल्म अधिकारी
4. वर्तमान वेतनमान 55,200/-

	जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(1)	लखनऊ	आवास 50 वर्ग मी	केवल सिंह	क्रय, बन्धक	2004	₹ 350,000	₹ 30,00,000	कुछ नहीं	
(2)	लखनऊ	आवासीय भूमि 1800 वर्गफीट	पवन सिंह लोधी - पुत्र	उपहार - स्व० श्री जयप्रकाश	2014	₹ 10,00,000	₹ 20,00,000	"	
(3)	हल्द्वानी	आवासीय भूमि लगभग 2300 वर्ग फीट	स्व० कश्मीरी देवी - पत्नी	क्रय	1995	₹ 1,00,000	₹ 66,00,000	"	
(4)	हल्द्वानी	आवास 1800 वर्ग फीट	(1) मनीषा लोधी-पुत्री (2) पवन सिंह लोधी-पुत्र	उपहार-श्रीमती प्रेमा देवी	1990	₹ —	₹ 1,00,00,000	₹ 9,000/= प्रति माह	

स्थान : देहरादून
दिनांक : 29.8.2019

हस्ताक्षर [signature]
अधिकारी का नाम केवल सिंह
पद नाम फोटो-फिल्म अधिकारी
विभाग सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग देहरादून

टिप्पणी :
1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक–पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण
(वर्ष ...... के लिए दिनांक 01 जनवरी, ... की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा मनोज कुमार शुक्ला
2. संवर्ग मिनिस्ट्रीयल संवर्ग
3. वर्तमान धारित पद प्रशासनिक अधिकारी
4. वर्तमान वेतनमान ₹ 50,500/-

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
देहरादून	आवास	स्वयं	स्वयं क्रय की गई	जून, 2009	30 लाख	-	- -	उपरोक्त [illegible] L.I.C. से Home Loan तथा GPF [illegible]
ग्राम- फेगु, मौजा- सुबहिनी, ग्राम-पो. नागनाथ, जिला- रूद्रप्रयाग	पैतृक भूमि/ मकान	पैतृक	पैतृक					

स्थान : देहरादून
दिनांक : 2/8/2019

हस्ताक्षर ......
अधिकारी का नाम मनोज कुमार शुक्ला
पद नाम प्रशासनिक अधिकारी
विभाग सूचना निदेशालय

टिप्पणी :
1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक–पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

...... अवगत ...... शासन
द्वारा लिए गये उपरोक्त निर्णय से अवगत कराते हुए आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

1659 2018/19

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र
(वर्ष 2019 के लिए दिनांक 01 ~~जनवरी~~ 31 जुलाई 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा रामपाल सिंह रावत 2. संवर्ग मिनिस्टीरियल संवर्ग
3. वर्तमान धारित पद प्रशासनिक अधिकारी 4. वर्तमान वेतनमान 44900 – 142400

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ग्राम व पोस्ट बौराईगांव दोगी पट्टी जनपद टिहरी	5 नाली कृषि भूमि पैतृक		उत्तराधिकार				NIL	
मौजा कारगी गाँव परगना केन्द्रीय दून, जनपद, देहरादून	२०० गज	श्रीमती रजनी रावत पत्नी	क्रय श्रीमती मोनिका रावत, पत्नी महेन्द्र सिंह रावत पी/2/121, यमुना कालोनी, देहरादून	जुलाई 2018		15,07,000/=	NIL	

स्थान : देहरादून
दिनांक : 19 अगस्त, 2019

हस्ताक्षर R Rawat 19/08/2019
अधिकारी का नाम रामपाल सिंह रावत
पद नाम प्रशा० अधिकारी
विभाग सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

श्री शुक्ला 20/08/2019

टिप्पणी :
1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक–पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

165 20/8/19

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र

(वर्ष .... के लिए दिनांक 01 जनवरी .... की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा रणजीत सिंह कुटियाल   2. संवर्ग लिपिक संवर्ग

3. वर्तमान धारित पद प्रशासनिक अधिकारी   4. वर्तमान वेतनमान 44900—142400

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. ग्राम-चूड़ा, तह- धारचूला (पिथौरागढ़)	15- नाली	अविभाजित	पैतृक			150000	—	पैतृक सम्पत्ति (अविभाजित)
2. धारचूला (पिथौरागढ़)	—	—	आवासीय भवन	1990	3-लाख	6-लाख	—	क्रय की गई (अविभाजित)
3. मेहूवाला माफी देहरादून	167.22 (वर्ग मीटर)	श्रीमती सुनीता कुटियाल पत्नी श्री रणजीत सिंह कुटियाल	क्रय किया गया	7.11.14	5.36 लाख	—	—	रिश्तेदार/तथा पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से एल.डी.एस. द्वारा क्रय की गई।

स्थान :..............................

दिनांक : ....

हस्ताक्षर [signature] 19.08.19

अधिकारी का नाम रणजीत सिंह कुटियाल

पद नाम प्रशासनिक अधिकारी

विभाग सूचना निदेशालय

JD II

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक–पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

AO, श्री शुक्ला, 20/08/2019

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र

(वर्ष [illegible] के लिए दिनांक 01 जनवरी [illegible] की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा: जुगल किशोर,
2. संवर्ग: ग
3. वर्तमान धारित पद: प्रशासनिक अधिकारी
4. वर्तमान वेतनमान: 44900 – 142400 (LEVEL 07)

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
देहरादून, तहसील – डोईवाला, डोईवाला ग्राम – [illegible],	2.3450 हेक्टर पैतृक भूमि	भाइयों के नाम अविभाजित					—	पैतृक भूमि भाइयों में अविभाजित

स्थान : देहरादून

दिनांक : 24/01/2019

हस्ताक्षर: जुगल किशोर

अधिकारी का नाम: जुगल किशोर

पद नाम: प्रशासनिक अधिकारी

विभाग: सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक–पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

1634 19/8/19

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण पत्र
(वर्ष 2019 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा .....
2. संवर्ग .....
3. वर्तमान धारित पद .....
4. वर्तमान वेतनमान .....

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9

स्थान : 17-8-19
दिनांक : .....

हस्ताक्षर .....
अधिकारी का नाम .....
पद नाम .....
विभाग .....

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्गित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष 2019 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2019 की स्थिति अनुसार)

1. ~~अधिकारी~~ कर्मचारी का पूरा नाम एवं सेवा राकेश कुमार
2. संवर्ग ....
3. वर्तमान धारित पद फोटोग्राफर
4. वर्तमान वेतनमान 35400 – 112400 (LEVEL – 06)

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उसका सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/रेहन/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सिंगनीवाला देहरादून	100 गज भूमि कुल 200 गज है इसमे 100 गज मेरे नाम	स्वयं	पिताजी द्वारा क्रय उत्तराधिकारी	2013	लगभग 5 लाख रुपये	अज्ञात (मालूम नहीं)	शून्य	

स्थान : देहरादून
दिनांक : 30-08-2019

हस्ताक्षर राकेश
~~अधिकारी~~ कर्मचारी का नाम राकेश कुमार
पद नाम फोटोग्राफर
विभाग सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग देहरादून

टिप्पणी :
1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अभिवृद्धि/कमी हुई हो तो तदनुसार अभिवृद्धि/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई अभिवृद्धि/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाये।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

CS Scanned with CamScanner

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र
(वर्ष .... के लिए दिनांक 01 जुलाई, 2019 की स्थिति अनुसार)

683 22-2-20

अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा शेखर चन्द्र जोशी 2. संवर्ग फोटो फिल्म सेवा

वर्तमान धारित पद फोटोग्राफर 4. वर्तमान वेतनमान 56900—

ला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ग्राम मगनेटा ० नागार्जुन	16 नाली पैतृक जमीन व मकान	शेखर चन्द्र जोशी	उत्तराधिकारी					
307/6 इन्दिरा नगर देहरादून	180 वर्ग मी० इन्दिरानगर में निर्मित मकान		क्रय	2003	352000/=			वर्तमान मूल्य 72,00000/=

स्थान : देहरादून

दिनांक : 02/07/2019

हस्ताक्षर ....

अधिकारी का नाम शेखर चन्द्र जोशी

पद नाम फोटोग्राफर

विभाग सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

टिप्पणी :

श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।

प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।

यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक–पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाय।

अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

Scanned by CamScanner

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र

(वर्ष 2018 के लिए दिनांक 01 जुलाई 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा यमुना प्रसाद व्यास
2. संवर्ग मिनिस्ट्रियल
3. वर्तमान धारित पद प्रशासनिक अधिकारी
4. वर्तमान वेतनमान 49000/- (44900-142400)

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B-55, टिहरी नगर, कालोनी अजबपुरकलां देहरादून।	आवासीय भवन 100 वर्गमीटर	स्वयं के नाम	पैतृक (टिहरी बांध विस्थापित)	पैतृक	—	18.00 लाख	शून्य	—

स्थान : देहरादून
दिनांक : 17.8.2019

हस्ताक्षर
अधिकारी का नाम यमुना प्रसाद व्यास
पद नाम प्रशासनिक अधिकारी
विभाग सूचना निदेशालय उत्तराखण्ड

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक–पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष ...... के लिए दिनांक ~~01 जनवरी 2019~~ 19 अग., 2019 की स्थिति अनुसार)

अराजपत्रित

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा ......विजय सिंह रावत...... 2. संवर्ग ......'ग' [illegible]......
3. वर्तमान धारित पद ......वरिष्ठ सहायक...... 4. वर्तमान वेतनमान ......5200-20200 ग्रेड वेतन-2000......

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय / लीज / रेहन / उत्तराधिकार / उपहार / अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति / व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि / वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
देहरादून	भवन (5-बिस्वा)	श्रीमती पुष्पा रावत	क्रय जमीन पर निर्मित	2009	दो लाख	—	—	रहने के प्रयोजन हेतु।

स्थान : ......देहरादून......
दिनांक : ......19/8/2019......

हस्ताक्षर ....
अराजपत्रित अधिकारी का नाम ......विजय सिंह रावत......
पद नाम ......वरिष्ठ सहायक......
विभाग ......सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)......

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण
अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के
उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाए और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय भवन/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं
किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

Scanned by CamScanner

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र
(वर्ष .... के लिए दिनांक ~~01 जनवरी~~ 31 जुलाई 2019 .... की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा ...... लक्ष्मण सिंह ...... 2. संवर्ग ...... (ग) ......
3. वर्तमान धारित पद ...... वाहन चालक ...... 4. वर्तमान वेतनमान ......

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ग्राम रिसालु पो० क्यूनी जिला देहरादून उत्तराखण्ड 406 नाली पैतृक सम्पत्ति	मकान 16 भागीरथीपुरम GMS रोड देहरादून नाप/200 गज स्वामित्व – श्रीमती कला चौहान W/o श्री लक्ष्मण चौहान	—	गृह ऋण SBI देहरादून	2016	लगभग रु० 21 लाख			क्रमांक ① मे मेरी पैतृक सम्पत्ति का अंकन किया गया है। जिसका वर्तमान तक बंटवारा नहीं हुआ है। क्रमांक 2/3 की भूमि व आवास मेरी धर्मपत्नी श्रीमती कला चौहान के नाम दर्ज है, जिसकी किश्त की मासिक कटौती मेरे वेतन से हो रही है।

स्थान : महानिदेशालय देहरादून
दिनांक : 30/07/2019

हस्ताक्षर ...... [signature] ......
अधिकारी का नाम ...... लक्ष्मण सिंह ......
पद नाम ...... वाहन चालक ......
विभाग ...... सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग ......

टिप्पणी :
1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत कर दी जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक–पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र
(वर्ष 2019 के लिए दिनांक 31 जुलाई 19 की स्थिति अनुसार)

1. कर्मचारी का पूरा नाम एवं सेवा .... सुधीर कुमार .... 2. संवर्ग .... (ग) ....
3. वर्तमान धारित पद .... कनिष्ठ कैमरामैन .... 4. वर्तमान वेतनमान .... 25500-81100 (लेवल-4)

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	—	—	शून्य	शून्य

स्थान : हल्द्वानी
दिनांक : 8/8/19

हस्ताक्षर .... [signature] ....
कर्मचारी का नाम .... सुधीर कुमार ....
पद नाम .... कनिष्ठ कैमरामैन ....
विभाग .... सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक–पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र
(वर्ष .... के लिए दिनांक 01 जनवरी .... की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा: प्रमोद चन्द्र तिवारी
2. संवर्ग: (ग)
3. वर्तमान धारित पद: अनुवादक
4. वर्तमान वेतनमान: 35400-112400 (LEVEL-6)

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(1) ग्राम-श्यादला पो.ऑ.-ताकुला जिला-अल्मोड़ा	पैतृक आवास भूमि लगभग 50 नाली	पैतृक पांच भाईयों की	उत्तराधिकार	पैतृक	पैतृक	लगभग 20 लाख	नहीं	
(2) 1/219 शारदानगर लखनऊ	70 वर्ग मी.	श्री प्रमोद चन्द्र तिवारी एवं धर्मपत्नी श्रीमती दीपा तिवारी	क्रय (एल.डी.ए. से)	वर्ष 2002	लगभग तीन लाख	लगभग बारह लाख	"	

स्थान : देहरादून
दिनांक : 14 अगस्त, 2019

हस्ताक्षर .... [signature]
कर्मि./ अधिकारी का नाम: प्रमोद चन्द्र तिवारी
पद नाम: अनुवादक
विभाग: सूचना विभाग, देहरादून

टिप्पणी :
1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक–पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के लिए अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष 2019-20 के लिए दिनांक 01 जनवरी 20.... की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा श्रीमती अंजू धपोला 2. वर्ग ....

3. वर्तमान धारित पद अनुवादक 4. वर्तमान वेतनमान 44900-142400 (लेवल-7)

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
←			NIL					→

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 2/8/2019

हस्ताक्षर ....

अधिकारी का नाम श्रीमती अंजू धपोला

पद नाम अनुवादक

विभाग सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के सभी सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष 2019 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा DINESH KUMAR
2. संवर्ग ....
3. वर्तमान धारित पद TRANSLATOR
4. वर्तमान वेतनमान 35400 - 112400 (LEVEL-06)

जिला, तहसील और गाँव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		NIL						

स्थान : DEHRADUN
दिनांक : 30-08-2019

हस्ताक्षर Dinesh Kumar
अधिकारी का नाम DINESH KUMAR
पद नाम TRANSLATOR
विभाग INFORMATION AND PUBLIC RELATION DEPARTMENT UTTARAKHAND

टिप्पणी :
1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

Scanned with CamScanner

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

(वर्ष 2018 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा: दीपा रानी गौड 2. सेवा: मौन - मिनिस्टीरियल

3. वर्तमान धारित पद: अनुवादक / प्रभारी सूचना अधिकारी वर्तमान वेतनमान: 35400—112400 (Level-6)

जिला, तहसील और गाँव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु. में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु. में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु. में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	—	—		NIL

स्थान: देहरादून

दिनांक: 29/08/2019

हस्ताक्षर: (हस्ताक्षर)

अधिकारी का नाम: दीपा रानी गौड

पद नाम: अनुवादक / प्रभारी सूचना अधिकारी

विभाग: सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि आवंटित, निर्मित आवासीय प्लॉट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष 2018-19 के लिए दिनांक 31 जुलाई, 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा राकेश कुमार धीवान
2. संवर्ग लेखा संवर्ग-श्रेणी "ग"
3. वर्तमान धारित पद सहायक लेखाकार
4. वर्तमान वेतनमान 47600-151100 (LEVEL-08)

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1- पौड़ी. तहसील पौड़ी धीवान-निवास तारालीज पौड़ी गढ़वाल	आवास	पैतृक	-	-	-	05 लाख	-	स्वयं के प्रयोजन हेतु
2- पौड़ी. श्रीनगर कमलेश्वर श्रीनगर गढ़वाल	आवास 0.013 हे०	स्वयं	क्रय	नवम्बर 2009	-	13 लाख	-	स्वयं के प्रयोजन हेतु आवास निर्माण, बैंक से आवास ऋण लेकर निर्मित करवाया गया है।

स्थान : देहरादून
दिनांक : 07-08-2019

हस्ताक्षर 07-08-19
अधिकारी का नाम (राकेश कुमार धीवान)
पद नाम सहायक लेखाकार
विभाग सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र
(वर्ष .... के लिए दिनांक 01 जनवरी, ... की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा .... गोपाल राम .... 2. संवर्ग .... कलाकौशल ....
3. वर्तमान धारित पद .... प्रधान सहायक .... 4. वर्तमान वेतनमान .... 4200/= ....

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
देहरादून	मकान कर्ी फुट 13/.11	गोपाल राम	श्री दिनेश चन्द्र गैरोला पुत्र श्री स्व श्री शम्भु प्रसाद शास्त्री निवास आरकेडी ग्रान्ट विजय कालोनी हरभजवाला देहरादून	16 जून 2011	16 लाख	16 लाख	कुछ नहीं	HDFC. बैंक से 16 लाख रिण लेकर बनाया

स्थान : देहरादून
दिनांक : 2-8-2019

हस्ताक्षर ....
अधिकारी का नाम .... गोपाल राम
पद नाम .... प्रधान सहायक
विभाग .... सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक–पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

1199 29/8/19

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष 2018-19 के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा: विनोद कुमार
2. संवर्ग: ग
3. वर्तमान धारित पद: प्रधान सहायक
4. वर्तमान वेतनमान: 35400-112400 लेवल-6

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
जनपद- देहरादून तहसील- देहरादून ग्राम- माजरा	निजी आवास + भूमि, 05 बीघा (अनुमानित)	स्वर्गीय- ईश्वरचंद (दादाजी) स्वर्गीय- सुरेशचंद (पिता)	उत्तराधिकार	पैतृक	पैतृक	50 लाख	कोई नहीं	

प्रस्तुत
29-8-19

स्थान: देहरादून
दिनांक: 28-08-2019

हस्ताक्षर: [signature]
अधिकारी का नाम: विनोद कुमार
पद नाम: प्रधान सहायक
विभाग: सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखंड

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष 2018-19 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा दिनेश सिंह राणा 31 जुलाई 2. संवर्ग (ग)
3. वर्तमान धारित पद प्रधान सहायक 4. वर्तमान वेतनमान 41000

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उसका सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(1) ग्राम डिकोली धनारी ह० डुण्डा जिला उत्तरकाशी	01 भवन 12 नाली कृषि भूमि	दिनेश सिंह राणा	उत्तराधिकार पैतृक	पैतृक			कुछ नहीं	
(2) ग्राम भनेरा - चिन्यालीसौड़ ह० भटवाड़ी जि० उत्तरकाशी	01 भवन 01 नाली	दिनेश सिंह राणा	स्वयं क्रय किया आपूर्ति की गई	वर्ष 2004	1 एक लाख	25 हजार	30/7/2024	

स्थान : उत्तरकाशी
दिनांक : 13/8/19

आहरण वितरण अधिकारी
जिला सूचना अधिकारी
उत्तरकाशी

हस्ताक्षर दिनेश
अधिकारी का नाम दिनेश सिंह (राणा)
पद नाम प्रधान सहायक
विभाग जिला सूचना विभाग उत्तरकाशी

टिप्पणी :
1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाए।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र

(वर्ष 2018-19 के लिए दिनांक ~~01 जनवरी~~ 31 जुलाई 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा: हरेन्द्र सिंह बिष्ट 2. संवर्ग: मिनिस्ट्रीयल

3. वर्तमान धारित पद: प्रधान सहायक 4. वर्तमान वेतनमान: 35400-112400

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1- ग्राम तोली ग्नोली पो० द्वाराहाट तहसील द्वाराहाट, अल्मोड़ा	पैतृक सम्पत्ति अज्ञात	पैतृक सम्पत्ति (अविभाजित)	पैतृक उत्तराधिकार	अज्ञात	अज्ञात	अज्ञात	शून्य	
2- ग्राम-कोटाबाग पो० पवलगढ़, तहसील नैनीताल जिला-नैनीताल	पैतृक भूमि व भवन	पैतृक सम्पत्ति (अविभाजित)	पैतृक उत्तराधिकार	''	''	''	''	
3- ग्राम हरिपुर नायक तहसील हल्द्वानी जिला नैनीताल	1000 वर्गमीटर	स्वयं के नाम	क्रय श्री० श्रीमती कुलवन्त कौर W/O दलीप सिंह ग्राम- हरिपुर नायक तहसील हल्द्वानी -		126000/-	5 लाख	''	

स्थान : देहरादून

दिनांक : 14-8-2019

हस्ताक्षर: [signature]

अधिकारी का नाम: हरेन्द्र सिंह बिष्ट

पद नाम: प्रधान सहायक

विभाग: सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक–पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

0, श्री शुक्ला 16/08/2019

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति ...
(वर्ष .... के लिए दिनांक 01 जनवरी, ... की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा: चेतन कुमार पाण्डेय
2. संवर्ग: मिनिस्टिरीयल
3. वर्तमान धारित पद: प्रधान सहायक
4. वर्तमान वेतनमान: Level- 6

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय / लीज / बंधक / उत्तराधिकार / उपहार / अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति / व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि / वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
भालवाला ग्रान्ट, देहरादून	150 गज (125 वर्ग मीटर)	श्रीमती अस्मिता पाण्डेय (धर्मपत्नी)	उत्तराखण्ड सचिवालय आवासीय सहकारी समिति के माध्यम से क्रय की गई,	जुलाई 2017	11.85 लाख	12.50 लाख	—	ICICI बैंक से भूमि ऋण लेकर क्रय की गई।

स्थान: देहरादून
दिनांक: 27/08/19

हस्ताक्षर: [signature]
अधिकारी का नाम: चेतन कुमार पाण्डेय
पद नाम: प्रधान सहायक
विभाग: सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, दे०दून

टिप्पणी :
1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति / नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष / प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य / कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य / कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य / कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट / अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

...... उत्तराखण्ड शासन

द्वारा लिए गये उपरोक्त निर्णय से अवगत कराते हुए आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र
(वर्ष .... के लिए दिनांक 01 जनवरी 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा नरेन्द्र सिंह सजवाण 2. संवर्ग मिनिस्टीरियल

3. वर्तमान धारित पद प्रधान सहायक 4. वर्तमान वेतनमान ....

	जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(1)	टिहरी गढ़वाल ग्राम गाजणा पट्टी मनियार	लगभग 40 नाली तथा पैतृक भवन	→ पैतृक	पैतृक	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	निजी उपयोग हेतु
(2)	ग्राम सेरस्यूँ चम्बा टिहरी गढ़वाल	लगभग 30 नाली	— पैतृक	पैतृक	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	निजी उपयोग हेतु
(3)	यमनोत्री इन्क्लेव फेस III चन्द्रबनी रोड सेवलाकलां देहरादून	स्वयं के नाम (85.38 वर्गमीटर)	—	—	—	—	—	निजी उपयोग हेतु	निजी उपयोग हेतु (बैंक से लोन लेकर)

स्थान : देहरादून
दिनांक : 28-8-19

हस्ताक्षर .... (हस्ताक्षर)
अधिकारी का नाम .... नरेन्द्र सिंह सजवाण
पद नाम .... प्रधान सहायक
विभाग .... सूचना विभाग

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक–पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र
(वर्ष .... के लिए दिनांक 01 जनवरी, ... की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा ....विजय कुमार.... 2. संवर्ग ....(म) समूह....

3. वर्तमान धारित पद ....प्रभारी सहायक.... 4. वर्तमान वेतनमान ....35400–112400....

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ग्राम डैना तल्ला पो०-आ० नारायणबगड़ तहसील थराली जिला चमोली	आवास (पैतृक) जमीन लगभग 15-20 नाली	स्व० श्री धर्मू लाल (पिता)	पैतृक सम्पत्ति	1996 से 2005	₹ 2 लाख	3 लाख अनुमानित		यह कि मेरा पैतृक स्थान है, जिसमें उक्त आवास बना है, जो मेरे पिता स्व० श्री धर्मू लाल के नाम पर है और इस आवास और जमीन का वर्तमान तक बंटवारा नहीं किया गया है तथा इस का प्रयोग मैं और मेरा पूरा परिवार करता है।

स्थान : सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

दिनांक : 28/08/2019

हस्ताक्षर ....विजय कुमार....

अधिकारी का नाम ....विजय कुमार....

पद नाम ....प्रभारी सहायक....

विभाग ....सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग 12-ई.सी. रोड देहरादून। (उत्तराखण्ड)....

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक–पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र
(वर्ष 2018–19 के लिए 31 जुलाई, 2019 की स्थिति के अनुसार)

1. कार्मिक का नाम एवं सेवा अजय प्रकाश बमराड़ा
2. संवर्ग मिनिस्ट्रियल
3. वर्तमान धारित पद प्रधान सहायक
3. वर्तमान वेतनमान 35,400–1,12,400 (Level 06)

जिला, तहसील, गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य) का विवरण क्षेत्रफल सहित	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गई है	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
जिला पौड़ी गढ़वाल पोस्ट देंहलचौंरी, ग्राम अरोटा	पैतृक आवास एवं 70 नाली कृषि भूमि	संयुक्त	पैतृक	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	शून्य	
		तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	
जिला देहरादून पोस्ट व ग्राम बालावाला	7 बिस्वा में आवास एवं 1 बीघा भूमि	संयुक्त	अनुज भाई के साथ संयुक्त रूप से क्रय	6.10.2011	लगभग 22 लाख	ज्ञात नहीं	शून्य	
		तदैव	तदैव	फरवरी, 2005	2.50 लाख	ज्ञात नहीं	शून्य	

स्थान : देहरादून
दिनांक : 3 अगस्त, 2019

हस्ताक्षर .....
कार्मिक का नाम अजय प्रकाश बमराड़ा
पदनाम प्रधान सहायक
विभाग सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तद्नुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति उत्पन्न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक–पृथक अंकित करते हुए तद्नुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

अचल सम्पत्ति विवरण-पत्र

(वर्ष 2018–19 के लिए दिनांक 31 जुलाई 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी / कर्मचारी का पूरा नाम .... मुकेश कुमार .... 2. संवर्ग ..... III .....

3. वर्तमान धारित पद .... जूनियर सहायक .... 4. वर्तमान वेतनमान 35400 – 112400 (Level 06)

जिला तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है।	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय / लीज / बंधक / उत्तराधिकार / उपहार / अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति / व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि / वर्ष	अर्जन लागत (रूपये में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रूपये में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रूपये में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हरिद्वार	900 वर्ग फुट	माता (श्रीमती मूर्ति देवी)	—	—	—		—	

स्थान : हरिद्वार

दिनांक : 9/8/2019

हस्ताक्षर :

अधिकारी का नाम : (मुकेश कुमार)

पदनाम : जूनियर सहायक

विभाग : जिला सूचना कार्यालय, हरिद्वार (मिनिस्ट्रियल)

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कैलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति / नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाए, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरांत प्रस्तुत की जाए।
2. प्रत्येक वर्ष / प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य / कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य / कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाए और यदि कोई आधिक्य / कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाए।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट / अन्य भवन के रूप में क्रय की गयी हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाए और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 02 में भवन एवं भूखण्ड को पृथकक–पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 06 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाए।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाए।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष 2019 के लिए दिनांक 01 जुलाई ... की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा अतुल कुमार
2. संवर्ग 'ग'
3. वर्तमान धारित पद वरिष्ठ सहायक
4. वर्तमान वेतनमान 29200-92300 (LEVEL-5)

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ग्राम देवल पो० कोट पट्टी सितोनस्यूं तहसील पौड़ी जनपद पौड़ी-गढ़वाल	आवास भूमि	पैतृक	पैतृक सम्पत्ति (पिता स्व० श्री कृष्ण कुमार थपलियाल)	पैतृक सम्पत्ति	01 लाख	1.40 लाख	(रु-1) (पारिवारिक (सदस्यों के निवास)	—

स्थान : पौड़ी
दिनांक : 13/8/19

हस्ताक्षर [signature]
अधिकारी का नाम अतुल कुमार
पद नाम वरिष्ठ सहायक
विभाग मु० चि० अ० कार्यालय पौड़ी गढ़वाल

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राजपत्रीय सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष [illegible] के लिए दिनांक 01 जनवरी, [illegible] की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा [illegible] 2. संवर्ग [illegible]
3. वर्तमान धारित पद [illegible] 4. वर्तमान वेतनमान [illegible]

जिला, सबडिवीजन और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (मकान, भूमि एवं अन्य भवनों) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल आदि)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो किसके नाम सम्पत्ति है, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(1) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]

स्थान : [illegible]
दिनांक : [illegible]

हस्ताक्षर [illegible]
अधिकारी का नाम [illegible]
पद नाम [illegible]
विभाग [illegible]

टिप्पणी :
1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

(वर्ष 2018-19 के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा सुषमा
2. संवर्ग मिनिस्ट्रियल स्टाफ
3. वर्तमान धारित पद वरिष्ठ सहायक
4. वर्तमान वेतनमान लेवल - 5 29200-92300

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मसूरी	111 वर्ग मी०	सुषमा स्वयं	क्रय पर्सनल लोन SBI से	12-12-13	3 लाख से अधिक	अज्ञात 3 लाख से अधिक	—	परिवार के रहने हेतु प्रयोजनार्थ
देहरादून कश्मीरी घाटी भोसारती स्टेट्स त्यागराज	225 गज	पति [illegible]		—	—	—	—	परिवार के रहने हेतु प्रयोजन हेतु

स्थान : Mussoorie.

दिनांक : 28/8/19

हस्ताक्षर Shushma

अधिकारी का नाम SHUSHMA

पद नाम Sr. Assistant

विभाग Suchna Vibhag

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष .... के लिए दिनांक 01 जनवरी, ... की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा: अंकित कुमार
2. संवर्ग: समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक) अल्पकालिक
3. वर्तमान धारित पद: प्रशासनिक सहायक
4. वर्तमान वेतनमान: Level-05 (29200-92300)

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			NIL					

स्थान : देहरादून
दिनांक : 28-08-2019

हस्ताक्षर: Ankit kumar
अधिकारी का नाम: अंकित कुमार
पद नाम: प्रशासनिक सहायक
विभाग: सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष 2019 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2019 की स्थिति अनुसार)

1. कार्मिक/अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा विजय झिंक्वाण।
2. संवर्ग आशुलिपिक
3. वर्तमान धारित पद वैयक्तिक सहायक
4. वर्तमान वेतनमान 29200-92300 (लेवल-5)

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु. में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु. में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु. में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			NIL					

स्थान : देहरादून
दिनांक : 30-08-2019

हस्ताक्षर Vijay
कार्मिक/अधिकारी का नाम विजय झिंक्वाण (VIJAY JHINKWAN)
पद नाम वैयक्तिक सहायक
विभाग सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

टिप्पणी :
1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाए और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

Scanned with CamScanner

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र

(वर्ष 2019 के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा आरती गुणवन्त
2. संवर्ग आशुलिपिक
3. वर्तमान धारित पद वैयक्तिक सहायक
4. वर्तमान वेतनमान 2800

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	NIL							

स्थान : देहरादून
दिनांक : 26/08/19

हस्ताक्षर
अधिकारी का नाम आरती गुणवन्त
पद नाम वैयक्तिक सहायक
विभाग सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्गित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक–पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का [illegible]
(वर्ष .... के लिए दिनांक 01 जनवरी, ... की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा ....रीनू कुमारी....
2. संवर्ग ....आशुलिपिक....
3. वर्तमान धारित पद ....वैयक्तिक सहायक....
4. वर्तमान वेतनमान ....2800/....

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Nil.					

स्थान : देहरादून

दिनांक : 28/08/19

हस्ताक्षर ....Reenu Kumari....

अधिकारी का नाम ....रीनू कुमारी....

पद नाम ....वैयक्तिक सहायक....

विभाग ....सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग....

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाए, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक–पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

...... अनुपालन का शासन

द्वारा लिए गये उपरोक्त निर्णय से अवगत कराते हुए आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

(वर्ष 2018-19 के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा ललित मोहन
2. संवर्ग टेक्निकल
3. वर्तमान धारित पद कैमरामैन
4. वर्तमान वेतनमान 35400—112400 (Label-6)

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	–	–	–	Nil

स्थान : देहरादून
दिनांक : 30/08/2019

हस्ताक्षर Lalit
अधिकारी का नाम ललित मोहन
पद नाम कैमरामैन
विभाग सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

1695 21/8/19

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का वितरण-पत्र
(वर्ष .... के लिए दिनांक 01 जनवरी ...... की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा: दिपेन्दर सिंह
2. संवर्ग: समूह 'ग' सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग
3. वर्तमान धारित पद: कैमरामैन
4. वर्तमान वेतनमान: 36500

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(1) ग्राम कुड़ठा पो० ओ० टिहरी गढ़वाल	आवास पैतृक जमीन लगभग 50 से 60 नाली	स्व० कृति सिंह पिता	पैतृक	—	—	लगभग 40 लाख (अनुमानित)	शून्य	इस जमीन का वर्तमान समय तक बटवारा नहीं हुआ है
(2) A-131 Durga Vihar दिल्ली	पैतृक मकान	स्व० कृति सिंह पिता	पैतृक	—	—	40 लाख (अनुमानित)	शून्य	इस जमीन का वर्तमान में बटवारा नहीं हुआ है
(3) रोजा जलालपुर ग्रेटर नोएडा	30 गज का प्लाट	दिपेन्द्र सिंह	—	—	—	150 लाख (अनुमानित)	शून्य	मेरे नाम पर है
(4) मौजा लक्ष्मणपुर देहरादून	1500 गज प्लाट	मेरे नाम तथा मेरे भाइयों (दिवान सिंह, दिग्विजय सिंह)	—			25 लाख (अनुमानित)	शून्य	अभी जमीन का बटवारा नहीं हुआ है

स्थान: देहरादून
दिनांक: 20 अगस्त 2019

हस्ताक्षर: Dipendra
अधिकारी का नाम: दिपेन्दर सिंह
पद नाम: कैमरामैन
विभाग: सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

टिप्पणी :
1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष 2019 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2019 की स्थिति अनुसार)

1. ~~अधिकारी~~ कर्मचारी का पूरा नाम एवं सेवा VIKAS CHAUHAN
2. संवर्ग ....
3. वर्तमान धारित पद Assitant cameraman
4. वर्तमान वेतनमान 25500-81100 (LEVEL-04)

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/रेहन/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
—	—	NIL	—	—	—	—	—	

स्थान : DEHRADUN
दिनांक : 30-08-2019

हस्ताक्षर Chauhan
अधिकारी का नाम VIKAS CHAUHAN
पद नाम Assistant cameraman
विभाग Information and Public Relation Department UTTARAKHAND

टिप्पणी :
1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

Scanned with CamScanner

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष 2019 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2019 की स्थिति अनुसार)

1. ~~अधिकारी~~ कर्मचारी का पूरा नाम एवं सेवा रुचि जुयाल
2. संवर्ग ....
3. वर्तमान धारित पद कनिष्ठ कैमरामैन
4. वर्तमान वेतनमान 25500-81100 (लेवल-4)

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		NIL						

स्थान : देहरादून
दिनांक : 30.08.2019

हस्ताक्षर Ruchi Juyal
~~अधिकारी~~ कर्मचारी का नाम रुचि जुयाल
पद नाम कनिष्ठ कैमरामैन
विभाग सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति, विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

CS Scanned with CamScanner

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष 2019 के लिए दिनांक 01 जनवरी......... की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा मनोज कुमार सती 2. संवर्ग ....
3. वर्तमान धारित पद अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी 4. वर्तमान वेतनमान लेवल-5

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ग्राम-रेगांव तहसील-कर्णप्रयाग जिला-चमोली	0.0030 हे० कृषि भूमि० एवं पैतृक आवास पर चार कमरों का मकान जर्जर अवस्था में	स्वयं के नाम	उत्तराधिकार	—	—	—	नहीं	

स्थान : देहरादून
दिनांक 30/08/2019

हस्ताक्षर (हस्ताक्षरित)
अधिकारी का नाम मनोज कुमार सती
पद नाम अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी
विभाग सूचना एवं लोक सम्पर्क

टिप्पणी :
1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

CS Scanned with CamScanner

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र

(वर्ष ..... के लिए दिनांक 01 जनवरी, ... की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा प्रभाकर सिंह नेगी
2. संवर्ग मिनिस्टर
3. वर्तमान धारित पद कनिष्ठ सहायक
4. वर्तमान वेतनमान 21700-69100 (लेवल-3)

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
— Nil	— Nil	— Nil	— Nil	— Nil	— Nil	— Nil	— Nil	

स्थान : देहरादून

दिनांक : 31/08/19

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम प्रभाकर सिंह नेगी

पद नाम कनिष्ठ सहायक

विभाग सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग निदेशालय, देहरादून

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्गित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष 2012 के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी (कर्मचारी) का पूरा नाम एवं सेवा KAILASH SINGH RAWAT 2. संवर्ग MINISTERIAL
3. वर्तमान धारित पद JUNIOR ASSISTANT 4. वर्तमान वेतनमान LEVEL – 03

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
NIL								

स्थान : DEHRADUN
दिनांक : 30/08/2019

हस्ताक्षर ....
अधिकारी का नाम KAILASH SINGH RAWAT
पद नाम JUNIOR ASSISTANT
विभाग INFORMATION AND PUBLIC Relations DEPARTMENT

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक् पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

Scanned with CamScanner

1694 21/8/19

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष 2018 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा श्री गोपाल सिंह 2. संवर्ग समूह 'ग' सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग
3. वर्तमान धारित पद कनिष्ठ सहायक 4. वर्तमान वेतनमान 26000

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय / लीज / बंधक / उत्तराधिकार / उपहार / अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति / व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि / वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ग्राम-घेस पो०ओ०-घेस तहसील-थराली जनपद-चमोली उत्तराखण्ड	आवास पैतृक जमीन लगभग 25-30 नाली	स्व० दिवान सिंह पिता	पैतृक	—	—	2.50 लाख अनुमानित	शून्य	यह मेरा पैतृक स्थान है, जिसमें उक्त आवास बना है, जो मेरे पिता स्व० दिवान सिं के नाम है और इस आवास/जमीन का वर्तमान समय तक बंटवारा नहीं किया गया है तथा इसका उपयोग मेरा पूरा परिवार करता है।

अनुभाग
276

स्थान : देहरादून
दिनांक : 20 अगस्त 2019

हस्ताक्षर [signature]
अधिकारी का नाम श्री गोपाल सिंह
पद नाम कनिष्ठ सहायक
विभाग सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

टिप्पणी :
1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

DII

AO, श्री शुक्ला
21/08/2019

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र
(वर्ष 2018-19 के लिए दिनांक 31 जनवरी 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा प्रदीप असवाल 2. संवर्ग ग
3. वर्तमान धारित पद कनिष्ठ सहायक 4. वर्तमान वेतनमान 21700 – 69100 (LEVEL 03)

जिला, तहसील और गाँव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
देहरादून	शून्य	—	—	—	—	—	शून्य	शून्य

स्थान : देहरादून
दिनांक : 29/08/19

हस्ताक्षर [signature]
अधिकारी का नाम प्रदीप असवाल
पद नाम कनिष्ठ सहायक
विभाग सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून

टिप्पणी :
1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र

(वर्ष 2018-19 के लिए दिनांक ~~01 जनवरी~~ 31 जुलाई, 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा मोहम्मद दिलशाद
2. संवर्ग 'ग'
3. वर्तमान धारित पद कनिष्ठ सहायक
4. वर्तमान वेतनमान बेसिक पे 26,800/–

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ग्राम – जाटोवाला पोस्ट – सभावाला तहसील – वि. नगर जिला – देहरादून पिन – 248197	आवासीय मकान (भूमि) कृषि भूमि 2.25 बीघा	पैतृक सम्पत्ति	पैतृक सम्पत्ति पिता स्व० श्री मोहम्मद आलिमास	–	–	–	–	परिवार के सदस्यों द्वारा आवासीय मकान (मकान) तथा कृषि भूमि /

स्थान : देहरादून

दिनांक : 28/08/19

हस्ताक्षर [signature]

अधिकारी का नाम मोहम्मद दिलशाद

पद नाम कनिष्ठ सहायक

विभाग सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक–पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राजकीय सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

(वर्ष .... के लिए दिनांक 01 जनवरी .... की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एव सेवा: तिदिशा नेगी   2. संवर्ग: (समूह) 91
3. वर्तमान धारित पद: कनिष्ठ सहायक   4. वर्तमान वेतनमान: ....

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 02.08.2019

हस्ताक्षर: ....
अधिकारी का नाम: तिदिशा नेगी
पद नाम: कनिष्ठ सहायक
विभाग: सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

टिप्पणी :-

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाये।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लेट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र

(वर्ष .... के लिए दिनांक 01 जनवरी, ... की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा: माधुरी सोरती
2. संवर्ग: [illegible]
3. वर्तमान धारित पद: ....
4. वर्तमान वेतनमान: ....

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय / लीज / बंधक / उत्तराधिकार / उपहार / अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति / व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि / वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(1) देहरादून बालावाला	135 गज	माधुरी सोरती	क्रय सम्पत्ति	मई 2018	17 लाख लगभग	20 लाख	शून्य	
—	—	—	—	—	—	—	—	

स्थान : देहरादून

दिनांक : 19/8/19

हस्ताक्षर: Madhu

अधिकारी का नाम: माधुरी

पद नाम: [illegible]

विभाग: [illegible]

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति / नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष / प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य / कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य / कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य / कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट / अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक–पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र

(वर्ष ..... के लिए दिनांक 01 जनवरी, ... की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा Ms. Parul Choudhary
2. संवर्ग Ministerial cadre
3. वर्तमान धारित पद Junior assistant
4. वर्तमान वेतनमान 21700–69100 (Level-B)

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			NIL					

स्थान : Dehradun
दिनांक : 02.08.19

हस्ताक्षर Parul 2/8/19
अधिकारी का नाम Parul Choudhary
पद नाम Junior Assistant
विभाग Information & Public Relation Department, Uttarakhand Dehradun

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक–पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र
(वर्ष 2019 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा सन्तोषी नेगी, राजकीय   2. संवर्ग (ग)

3. वर्तमान धारित पद कनिष्ठ सहायक   4. वर्तमान वेतनमान 21700-69100/-

	जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(1)	ग्राम व पो० बेरनी, नरेन्द्रनगर जिला टि० गढ़वाल	आवासीय भूमि	पैतृक भूमि पति के नाम	पैतृक सम्पत्ति पति के नाम	पैतृक	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	शून्य	—
(2)	देहरादून	सिरस्वाबाद रानीपोखरी देहरादून	स्वयं के नाम	225 गज भूमि	2016	8.47	—	शून्य	बैंक लोन आदि

स्थान : पौड़ी गढ़वाल
दिनांक : 05/08/2019

हस्ताक्षर Santoshi
अधिकारी का नाम सन्तोषी नेगी
पद नाम कनिष्ठ सहायक
विभाग सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

टिप्पणी :
1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक–पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

AO, प्र० आयुक्त
6/8/2019

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र

(वर्ष 2019 के लिए दिनांक ~~01 जनवरी, 2019~~ 30 अगस्त, 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा सुरेश चन्द्र भट्ट   2. संवर्ग मिनिस्टीरियल

3. वर्तमान धारित पद कनिष्ठ सहायक   4. वर्तमान वेतनमान 5200-20200 (2000 ग्रेड पे)

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हरियाली एन्क्लेव लोअर नत्थनपुर नेहरूग्राम, निकट अकादमिया पब्लिक स्कूल, देहरादून।	114 गज क्षेत्रफल में मकान निर्मित	रामचन्द्र भट्ट (पिता) सुरेशचन्द्र भट्ट (स्वयं) वीरेशचन्द्र भट्ट (भाई)	क्रय की गई बैंक लोन के माध्यम से	वर्ष 2015	~~लाख~~ लगभग 20 लाख	—	—	—

स्थान : देहरादून

दिनांक : 29/8/19

हस्ताक्षर ....

अधिकारी का नाम सुरेशचन्द्र भट्ट

पद नाम कनिष्ठ सहायक

विभाग सूचना विभाग

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक–पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण--पत्र
(वर्ष .... के लिए दिनांक 01 जनवरी 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा पप्पू चौहान 2. संवर्ग वाहन चालक

3. वर्तमान धारित पद वाहन चालक 4. वर्तमान वेतनमान 25950

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
विकासनगर देहरादून	373.50 गज	~~स्वयं~~ के पत्नी के नाम	क्रय	2017	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	-	निजी उपयोग हेतु
ग्राम मिर्वा चकराता देहरादून	15 नाली लगभग	पैतृक	पैतृक	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	-	निजी उपयोग हेतु

स्थान : देहरादून

दिनांक : 21-08-2019

हस्ताक्षर ....

अधिकारी का नाम पप्पू चौहान

पद नाम वाहन चालक

विभाग सूचना विभाग

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाए, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष .... के लिए दिनांक 01 जनवरी .... की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा श्री रामदयाल .... 2. संवर्ग मिनिस्ट्रियल

3. वर्तमान धारित पद चपरासी .... 4. वर्तमान वेतनमान ....

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Nil					

स्थान : देहरादून ....
दिनांक : 27.8.19

हस्ताक्षर राम दयाल
अधिकारी का नाम ....
पद नाम चपरासी
विभाग सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

...... आधार पर शासन
द्वारा लिए गये उपरोक्त निर्णय से अवगत कराते हुए आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र

(वर्ष ..... के लिए दिनांक 01 जनवरी, ... की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा राम सिंह परजोली 2. संवर्ग चतुर्थ श्रेणी

3. वर्तमान धारित पद अनुसेवक 4. वर्तमान वेतनमान 1800/-

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
देहरादून	भवन निर्माण 60 गज	श्रीमती पूनम सिंह पत्नी	निर्माण द्वारा	2017	16 लाख	22 लाख	नही	निजी उपयोग के लिए

स्थान : देहरादून

दिनांक : 29/8/2019

हस्ताक्षर Rsparjoli

अधिकारी का नाम राम सिंह परजोली

पद नाम अनुसेवक

विभाग सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक–पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र
(वर्ष 2018-19 के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2019 की स्थिति अनुसार)

1. ~~अधिकारी~~ कर्मचारी का पूरा नाम एवं सेवा ..... अभिषेक भारती ..... 2. संवर्ग ..... (ग) .....
3. वर्तमान धारित पद ..... चतुर्थ श्रेणी ..... 4. वर्तमान वेतनमान ..... 24 00/- .....

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु0 में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु0 में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु0 में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
देहरादून	शून्य	—	—	—	—	शून्य	—	शून्य

स्थान : देहरादून
दिनांक : 29/01/2019

हस्ताक्षर ..... [signature] .....
अधिकारी का नाम ..... अभिषेक भारती .....
पद नाम ..... चतुर्थ श्रेणी .....
विभाग ..... सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग .....

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक–पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष .... के लिए दिनांक 01 जनवरी .... की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा सर्वेश कुमार .... 2. संवर्ग V
3. वर्तमान धारित पद अनुसेवक .... 4. वर्तमान वेतनमान 18000 – 56900 (लेवल-1)

जिला, तहसील और गाँव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हों तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उसका सरकारी सेवक से सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
गाँव - बहलोलपुर तहसील - सण्डीला जिला - हरदोई राज्य - उत्तरप्रदेश	(1) आवास 1 बिस्वा (2) भूमि 1 बीघा	सर्वेश कुमार	क्रय	जून 2005	चालिस हजार रु.	70 हजार रुपये		

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 2/8/2019

हस्ताक्षर सर्वेश कुमार
कार्मिक का नाम सर्वेश कुमार
पद नाम अनुसेवक
विभाग सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक अधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति निर्मित आवासीय प्लाट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के प्रथम ... अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

(वर्ष .... के लिए दिनांक 01 जनवरी .... की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एव सेवा .... राजेन्द्र सिंह नगरकोटी 2. सेवा .... 2400 रु.

3. वर्तमान धारित पद .... हे. सहायक 4. वर्तमान वेतनमान .... 25500-81100 लेवल 4

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय / लीज / बंधक / उत्तराधिकार / उपहार / अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति / व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि / वर्ष	अर्जन लागत (रु. में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु. में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु. में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अल्मोड़ा [illegible] पोस्ट ताकुला [illegible]	आवास [illegible] कृषि [illegible]	राजेन्द्र सिंह	पैतृक [illegible]	मार्च 1988	पारिवारिक रु 25000			

स्थान .... [illegible]

दिनांक 3/7/2019

हस्ताक्षर .... [signature]

अधिकारी का नाम .... राजेन्द्र सिंह नगरकोटी

पद नाम .... हे. सहायक

विभाग .... [illegible]

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलैण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति / नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाए, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष / प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अधिक्य / कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य / कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य / कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट / अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र

(वर्ष 2018–19 के लिए दिनांक 31 जुलाई 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी / कर्मचारी का पूरा नाम अर्चना 2. संवर्ग II

3. वर्तमान धारित पद जिला सूचना अधिकारी हरिद्वार 4. वर्तमान वेतनमान 44900–142400 (Level–07)

जिला तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है।	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय / लीज / बंधक / उत्तराधिकार / उपहार / अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति / व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि / वर्ष	अर्जन लागत (रुपये में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रुपये में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रुपये में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ग्रा0 शिवपुर	भवन 900 वर्ग फुट	स्वयं के नाम	बैंक लोन के माध्यम से क्रय कर अर्जित की गयी	26 सितम्बर वर्ष 2017	(15,00000) रुपये पन्द्रह लाख रुपये		कोई आय नहीं	सम्पत्ति वर्ष 2017 में HDFC बैंक से पन्द्रह लाख रुपये में क्रय कर शिवपुर गांव हरिद्वार में अर्जित की गयी। जिसका लोन बकाया (लगभग) 627605 है।

स्थान : हरिद्वार

दिनांक : 6/8/2019

हस्ताक्षर : [signature] 6/8/2019

अधिकारी का नाम : अर्चना।

पदनाम : जिला सूचना अधिकारी।

विभाग : सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड।

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कैलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति / नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाए, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरांत प्रस्तुत की जाए।
2. प्रत्येक वर्ष / प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य / कमी हुई हो तो तद्नुसार आधिक्य / कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाए और यदि कोई आधिक्य / कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाए।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट / अन्य भवन के रूप में क्रय की गयी हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाए और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 02 में भवन एवं भूखण्ड को पृथकक–पृथक अंकित करते हुए तद्नुसार स्तम्भ 06 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाए।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाए।

(वर्ष 2018–19 के लिए दिनांक 31 जुलाई 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम अरुण कुमार 2. संवर्ग "ग"

3. वर्तमान धारित पद कनिष्ठ सहायक 4. वर्तमान वेतनमान 21700–69100 (level-3)

जिला तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है।	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रूपये में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रूपये में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रूपये में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
रांझावाला रायपुर देहरादून	0.214 हेक्टे भूमि एवं पैतृक मकान	भूमि मेरे चार अन्य भाई एवं कुछ अन्य चचेरे भाइयों के नाम संयुक्त रूप से।	पैतृक	—	—	—	3000/- रुपये लगभग	—

स्थान : हरिद्वार

दिनांक : 09-08-2019

हस्ताक्षर : Arun Kumar

अधिकारी का नाम : अरुण कुमार

पदनाम : कनिष्ठ सहायक

विभाग : सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखंड

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कैलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बंधित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाए, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरांत प्रस्तुत की जाए।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तद्नुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाए और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाए।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गयी हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाए और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 02 में भवन एवं भूखण्ड को पृथकक–पृथक अंकित करते हुए तद्नुसार स्तम्भ 06 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाए।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाए।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र
(वर्ष 2018–19 के लिए दिनांक 31 जुलाई 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी /कर्मचारी का नाम व सेवा– श्री भूवन चन्द्र तिवारी
2. संवर्ग–ख
3. वर्तमान धारित पद–जिला सूचना अधिकारी
4. वर्तमान वेतनमान–65000.00

जिला, तहसील मे गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है।	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि) स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवा का संबंध	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय, लीज, बन्धक, उत्तराधिकार/उपहार/ अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिन से अर्जित की गयी।	सम्पत्ति अर्जित करने के तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रू0 में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रू0 में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रू0 में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
जनपद–नैनीताल तहसील–हल्द्वानी लामाचौड़	दो बीघा कृषि भूमि	स्वयं की	जी0पी0एफ0 व अपने वेतन से	वर्ष–2000	1.20 लाख	12.50 लाख	शून्य	—

स्थान–रूद्रपुर (उ0सि0नगर)
दिनांक–08 अगस्त, 2019

हस्ताक्षर.....
अधिकारी/कर्मचारी का नाम–भूवन चन्द्र तिवारी
पदनाम–जिला सूचना अधिकारी
विभाग–सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उ0सि0नगर।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र
(वर्ष 2018–19 के लिए दिनांक 31 जुलाई 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी /कर्मचारी का नाम व सेवा– श्री कृपाल लाल टम्टा
2. संवर्ग–ग
3. वर्तमान धारित पद–अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी
4. वर्तमान वेतनमान–35900.00

जिला, तहसील मे गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है।	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि) स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवा का संबंध	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय, लीज, बन्धक, उत्तराधिकार/उपहार/ अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिन से अर्जित की गयी।	सम्पत्ति अर्जित करने के तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रू0 में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रू0 में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रू0 में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
शून्य	–	–	–	–	–	–	–	–

स्थान–रूद्रपुर (उ0सि0नगर)
दिनांक–08 अगस्त, 2019

हस्ताक्षर.....
अधिकारी/कर्मचारी का नाम–कृपाल लाल टम्टा
पदनाम–अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी
विभाग–सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उ0सि0नगर।

राज्यपाल सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र

(वर्ष 2018–19 के लिए दिनांक 31 जुलाई 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी/कर्मचारी का नाम व सेवा– श्री संजय कुमार
2. संवर्ग–ग
3. वर्तमान धारित पद–कनिष्ठ सहायक
4. वर्तमान वेतनमान–26800.00

जिला, तहसील में गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है।	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि) स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवा का संबंध	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय, लीज, बन्धक, उत्तराधिकार/उपहार/ अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिन से अर्जित की गयी।	सम्पत्ति अर्जित करने के तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रू0 में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रू0 में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रू0 में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
शून्य	–	–	–	–	–	–	–	–

स्थान–रूद्रपुर (उ0सि0नगर)
दिनांक–08 अगस्त, 2019

हस्ताक्षर.....
अधिकारी/कर्मचारी का नाम–संजय कुमार
पदनाम–कनिष्ठ सहायक
विभाग–सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उ0सि0नगर।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र
(वर्ष 2018–19 के लिए दिनांक 31 जुलाई 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी /कर्मचारी का नाम व सेवा– श्री बब्बन राम
2. संवर्ग–ग
3. वर्तमान धारित पद–वाहन चालक
4. वर्तमान वेतनमान–32300.00

जिला, तहसील मे गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है।	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि) स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवा का संबंध	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय, लीज, बन्धक, उत्तराधिकार/उपहार/ अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिन से अर्जित की गयी।	सम्पत्ति अर्जित करने के तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रू0 में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रू0 में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रू0 में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
शून्य	—	—	—	—	—	—	—	—

स्थान–रूद्रपुर (उ0सि0नगर)
दिनांक–08 अगस्त, 2019

हस्ताक्षर.....
अधिकारी/कर्मचारी का नाम–बब्बन राम
पदनाम–वाहन चालक
विभाग–सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उ0सि0नगर।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष 2019 के लिए दिनांक 31 दिसम्बर 19 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा गोविन्द सिंह बिष्ट 2. संवर्ग (ग)
3. वर्तमान धारित पद अपर जिला सूचना अधिकारी 4. वर्तमान वेतनमान 44900-142400 (Level-7)

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हल्द्वानी जिला- नैनीताल	आवास 1800 स्क्वायर फिट	गोविन्द सिंह बिष्ट	स्वयं स्वं पैतिक	2010	15लाख	30लाख	शून्य	पैतृक/स्वयं
ग्राम बौरली तo भिकियासैण जिला अल्मोड़ा	आवासन जमीन	”	”	पैतृक	30लाख		शून्य	”

स्थान : हल्द्वानी
दिनांक : 8/8/19

हस्ताक्षर [signature]
अधिकारी का नाम गोविन्द सिंह बिष्ट
पद नाम अपर जिला सूचना अधिकारी
विभाग जिला सूचना कार्यालय, भोटियापड़ाव हल्द्वानी।

टिप्पणी :
1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र
(वर्ष 2019 के लिए दिनांक 31 जुलाई 19 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा अहमद नदीम
2. संवर्ग ग
3. वर्तमान धारित पद अति० जिला सूचना अधिकारी
4. वर्तमान वेतनमान 29200–92300 (level-5)

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय / लीज / बंधक / उत्तराधिकार / उपहार / अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति / व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि / वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
जसपुर (उ०सि० नं०)	दो भवन व 220 वर्ग फीट व भूमि	माता, जायदादशामिल व भागिताधिकअर्जित	उत्तराधिकारी व क्रय	2008-09	8 लाख	—	—	उक्त भवन, भूमि का उपयोग स्वयं एवं परिवार द्वारा किया जा रहा है।

स्थान : नैनीताल। 08/8/19
दिनांक : ....

हस्ताक्षर ....
अधिकारी का नाम अहमद नदीम
पद नाम अति० जिला सूचना अधिकारी
विभाग जिला सूचना कार्यालय नैनीताल

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति / नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष / प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य / कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य / कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य / कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट / अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक–पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष 2019 के लिए दिनांक 31 जुलाई 19 की स्थिति अनुसार)

1. कर्मचारी का पूरा नाम एवं सेवा दीवान सिंह बिष्ट
2. संवर्ग 29200-92300 (लेवल-05)
3. वर्तमान धारित पद पुस्तकालय सहायक
4. वर्तमान वेतनमान

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
तहसील-गरुड़ा गांव मनोली जिला-अल्मोड़ा	05 नाली कृषि भूमि एवं 15x22 आवास पुश्तैनी	स्वयं पुश्तैनी	पुश्तैनी-उत्तराधिकारी	पुश्तैनी	—	—	—	उक्त भूमि एवं भवन का उपयोग हमारे बड़े भाई के परिवार द्वारा किया जा रहा है।

स्थान : नैनीताल
दिनांक : 8/8/19

हस्ताक्षर दीवानसिंह
कर्मचारी का नाम दीवान सिंह बिष्ट
पद नाम पुस्तकालय सहायक
विभाग जिला सूचना कार्यालय नैनीताल

टिप्पणी :
1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

11

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र
(वर्ष 2019 के लिए दिनांक 01 जुलाई 19 की स्थिति अनुसार)

1. कर्मचारी का पूरा नाम एवं सेवा दीवानगिरि गोस्वामी   2. संवर्ग (घ)
3. वर्तमान धारित पद अनुसेवक   4. वर्तमान वेतनमान 25500–81100 (Level-4)

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय / लीज / बंधक / उत्तराधिकार / उपहार / अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति / व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि / वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
तहसील धारी जिला नैनीताल	10 नाली कृषि भूमि एवं 25x30 आवास पुश्तैनी	स्वयं पुश्तैनी	पुश्तैनी – उत्तराधिकारी	पुश्तैनी	—	—	—	उक्त भूमि एवं भवन का उपयोग स्वयं द्वारा किया जाता है,

स्थान : नैनीताल
दिनांक : 8/08/19

हस्ताक्षर (हस्ताक्षरित)
कर्मचारी का नाम दीवानगिरि गोस्वामी
पद नाम अनुसेवक
विभाग जिला सूचना कार्यालय नैनीताल।

टिप्पणी :
1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति / नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष / प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य / कमी हुई हो तो तद्नुसार आधिक्य / कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य / कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट / अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक–पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

(वर्ष 2019 के लिए दिनांक 31 जुलाई 19 की स्थिति अनुसार)

1. कर्मचारी का पूरा नाम एवं सेवा: मोहन चन्द्र फुलारा
2. संवर्ग: ग
3. वर्तमान धारित पद: वाहन चालक
4. वर्तमान वेतनमान: 25500–81100 (Level-4)

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
तहसील नैनीताल गाँव सांगुड़ी भीमताल	11 नाली सास मां द्वारा दान में दी गई	स्वयं	मोहन चन्द्र फुलारा की पत्नी को दान दी गई।	दान	—	—	—	स्वयं द्वारा देख-रेख
हल्द्वानी श्रीमहल्ला	आवास पुश्तैनी	मोहन चन्द्र फुलारा	पुश्तैनी स्वयं	पुश्तैनी	—	—	—	आवास हेतु

स्थान : नैनीताल
दिनांक : 8/8/19

हस्ताक्षर: मोहन चन्द्र
कर्मचारी का नाम: मोहन चन्द्र फुलारा
पद नाम: वाहन चालक
विभाग: जिला सूचना कार्यालय नैनीताल।

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

(वर्ष 2018-19 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा ..... म० महेश्वर प्रसाद शुक्ला 2. संवर्ग ..... (ग)
3. वर्तमान धारित पद ..... 4. वर्तमान वेतनमान 29900-00

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
गांव सुवादेनी पो० नागजगई तहसील बड़कोट जिला उत्तरकाशी	भवन 01 45 नाली आर्सीचील	म० महेश्वर प्रसाद शुक्ला उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त	स्वयं निर्मित भवन भूमि उत्तराधिकार में अर्जित	भवन 2002 पैतृक	2 लाख	3 लाख	शून्य 0	

स्थान : उत्तरकाशी
दिनांक : 13/8/2019

आहरण वितरण अधिकारी
जिला सूचना अधिकारी
उत्तरकाशी

हस्ताक्षर ..... [illegible]
अधिकारी का नाम ..... म० महेश्वर प्रसाद शुक्ला
पद नाम ..... अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी
विभाग ..... जिला सूचना अधिकारी

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र
(वर्ष 2018-19 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा सुरेश कुमार   2. संवर्ग (ग)
3. वर्तमान धारित पद सहायक   4. वर्तमान वेतनमान 22400=00

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय / लीज / बंधक / उत्तराधिकार / उपहार / अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति / व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि / वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ग्राम कुकरेड़ा पो. ओ. डडिया तहसील मोरी जिला उत्तरकाशी	—	श्री ज्ञानदास संबंध पिता	उत्तराधिकार	पैतृक	—	—	शून्य	

स्थान : उत्तरकाशी
दिनांक : 13-08-2019

हस्ताक्षर 13/08/19
अधिकारी का नाम सुरेश कुमार
पद नाम सहायक
विभाग जिला सूचना कार्यालय उत्तरकाशी।

आहरण वितरण अधिकारी
जिला सूचना अधिकारी
उत्तरकाशी

टिप्पणी :
1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति / नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष / प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य / कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य / कमी को उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य / कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट / अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक–पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

(वर्ष 2018-19 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा: शिवदयाल सिंह महन्त
2. संवर्ग: (ग) तृतीय
3. वर्तमान धारित पद: वाहन चालक
4. वर्तमान वेतनमान: 5 20200/2000

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	
ग्राम खोटली (पयाणा) पट्टी बिष्ट तहसील चिन्यालीसौड़ जिला उत्तरकाशी	2 मकान 127 नाली कृषि भूमि 1/3 संयुक्त खाता	रामदयाल भाई शिवदयाल (स्वयं) श्रीनदयाल (भाई)	उत्तराधिकार पैतृक	पैतृक		18 लाख 22 लाख कृषि भूमि	कुछ नहीं	उक्त पैतृक सम्पत्ति 1/3 भागों में विभाजित है;
ग्राम कुंवा बरसाली	1 नाली आवासीय भूमि	शिवदयाल सिंह स्वयं	स्वयं क्रय की गई अभिषेक व सरतमा से	जनवरी 2017	6 लाख	8 लाख	कुछ नहीं	

स्थान: उत्तरकाशी
दिनांक: 13-8-2019

आहरण वितरण अधिकारी
जिला सूचना अधिकारी
उत्तरकाशी

हस्ताक्षर: [signature]
अधिकारी का नाम: शिवदयाल सिंह महन्त
पद नाम: वाहन चालक
विभाग: जिला सूचना विभाग उत्तरकाशी

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओ के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र

(वर्ष ..... के लिए दिनांक 01 जनवरी,..... की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा कु० ज्ञानकी देवी
2. संवर्ग समूह 'ग'
3. वर्तमान धारित पद अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी
4. वर्तमान वेतनमान 33900

जिला, तहसील और गाव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 20/8/18

हस्ताक्षर .....
अधिकारी का नाम ज्ञानकी देवी
पद नाम अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी
विभाग सूचना निदेशालय

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक–पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति प्रदर्शित की जाय।

राज्याधीन सेवाओ के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र
(वर्ष .... के लिए दिनांक 01 जनवरी,.......... की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा सुरेन्द्र प्रसाद नौटियाल .... 2. संवर्ग ....
3. वर्तमान धारित पद वाहन चालक .... 4. वर्तमान वेतनमान 38100-00

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
जिला उत्तरकाशी उप तहसील जोशियाडा ग्राम चलन	आवास 02 एक में 04 कमरे एक बरामदा दूसरे में दो कमरे एक कीचन लगभग दो नाली भूमि पर	सुरेन्द्र प्रसाद नौटियाल	स्वयं क्रय की गई	एक मकान वर्ष 1989-89 में तथा दूसरा वर्ष 2016 में	एक लाख लगभग	सात लाख	NIL	

स्थान : नई टिहरी
दिनांक : 20-8-19

हस्ताक्षर ....
अधिकारी का नाम सुरेन्द्र प्रसाद नौटियाल
पद नाम वाहन चालक
विभाग जिला सूचना कार्यालय टिहरी

टिप्पणी :
1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक–पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र
(वर्ष 2019 के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा सुनील सिंह तोमर 2. संवर्ग 'ग'
3. वर्तमान धारित पद संरक्षक कम डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 4. वर्तमान वेतनमान ....

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	प्रार्थी के नाम पर कोई भी सम्पत्ती नहीं है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : ....

हस्ताक्षर ....
अधिकारी का नाम सुनील सिंह तोमर
पद नाम संरक्षक कम डाटा एन्ट्री ऑपरेटर
विभाग स्वास्थ्य एवं लोक सम्पर्क विभाग

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक–पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राजपत्रीत सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष 2013 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2014 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा ....   2. संवर्ग ....
3. वर्तमान धारित पद ....   4. वर्तमान वेतनमान ....

जिला, तहसील और गाँव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उसका सरकारी सेवक का संबंध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ग्राम-औंगी पो० [illegible] नथा	भूमि	पैतृक स्वयं एवं संयुक्त [illegible]	पैतृक सम्पत्ति अन्तर्गत (पिता स्व० श्री [illegible])	पैतृक सम्पत्ति	अज्ञात	अज्ञात	—	—
ग्राम-[illegible] पो० [illegible] तह० भटवाड़ी	भूमि	पैतृक स्वयं एवं संयुक्त [illegible] के नाम —	,,		अज्ञात	अज्ञात	—	—
जिला उत्तरकाशी उत्तराखण्ड	आवास	स्वयं का	स्वयं का अर्जित	2014-15		15 लाख [illegible]		—

[signature] 29/10/19

हस्ताक्षर ....
अधिकारी का नाम ....[illegible].......
पद नाम ....[illegible]....
विभाग ....[illegible]...., उत्तराखण्ड

स्थान ....
दिनांक ....

टिप्पणी :-
1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लॉट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष 2018-19 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा: भजनी 2. स्तर: लेवल-5
3. वर्तमान धारित पद: अति. जिला सूचना अधिकारी 4. वर्तमान वेतनमान: 29200-92300

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बन्धक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	क्रय लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(1) ग्राम श्यामपुर जनपद-देहरादून उत्तराखण्ड	0.0800 ह. आवासीय भूमि	स्व. श्री कुंदन सिंह भण्डारी (ससुर जी)	उत्तराधिकार	2/8/1994	-	-	-	अविभाजित
(2) पीताम्बरपुर आर्केडिया जनपद-देहरादून उत्तराखण्ड	119.13 व.मी.	भजनी (स्वयं)	क्रय	26/6/2016	-	-	-	-

स्थान: देहरादून
दिनांक: 09/08/2019

हस्ताक्षर: Bhaj
अधिकारी का नाम: भजनी
पद नाम: अति. जिला सूचना अधिकारी
विभाग: सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

टिप्पणी:
1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

(वर्ष 2018-19 के लिए दिनांक 01 जनवरी जुलाई 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा श्री महिपाल सिंह नेगी
2. संवर्ग 'ग'
3. वर्तमान धारित पद वाहन चालक
4. वर्तमान वेतनमान 44900-142400

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ग्राम/पो. [illegible] पट्टी [illegible] तहसील पौड़ी जिला पौड़ी गढ़वाल	पैतृक आवास	पैतृक	पैतृक सम्पत्ति	पैतृक सम्पत्ति	पैतृक सम्पत्ति	पैतृक सम्पत्ति	शून्य	

स्थान 29/08/2019

दिनांक पौड़ी

हस्ताक्षर [signature]

अधिकारी का नाम महिपाल सिंह नेगी

पद नाम वाहन चालक

विभाग सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी की वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र

(वर्ष ...2019..... के लिए दिनॉक 01 जनवरी ..2019..... की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा अजनेश राणा
2. संवर्ग ... अधिकारी –(ग)
3. वर्तमान धारित पद..... सहायक सूचना अधिकारी .
4. वर्तमान वेतनमान... 29200–92300

जिला, तहसील और गॉव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकारी/उपहार /अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/ व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ग्राम– थुनारा, पौ0 आराकोट तहसील– मोरी जिला उत्तरकाशी	1 पैतृक सम्पत्ति		–	–	–	–	–	–

स्थान .....अल्मोड़ा.....
दिनॉक ....03/08/2019.....

हस्ताक्षर .....
अधिकारी/कर्मचारी का नाम श्री अजनेश राणा
पद का नाम ....सहायक सूचना अधिकारी
विभाग ....जिला सूचना कार्यालय अल्मोड़ा।

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाए और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित की जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रुप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक–पृथक अंकित किरते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र

(वर्ष ...2019..... के लिए दिनॉक 01 जनवरी ..2019..... की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा .....मदन मोहन लाल आर्या.....

2. संवर्ग ...लेखा संवर्ग सूचना –(ग)

3. वर्तमान धारित पद .....सहायक लेखाकार .....

4. वर्तमान वेतनमान... 47600–151100

जिला, तहसील और गॉव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकारी/उपहार /अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/ व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अल्मोड़ा, तहसील चौखुटिया, एवं ग्राम आदिग्राम–कनौडिया	घर पैतृक	स्वयं के नाम	–	–	–	–	–	–

स्थान .....अल्मोड़ा.....

दिनॉक ....03/08/2019.....

हस्ताक्षर .....

अधिकारी/कर्मचारी का नाम मदन मोहन लाल आर्या

पद का नाम ....सहायक लेखाकार

विभाग ....जिला सूचना कार्यालय अल्मोड़ा।

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाए और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित की जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रुप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक–पृथक अंकित किरते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र

(वर्ष ...2019..... के लिए दिनॉक 01 जनवरी ..2019..... की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा विपिन चन्द्र
2. संवर्ग ... अधिकारी –(ग)
3. वर्तमान धारित पद..... कनिष्ठ सहायक .
4. वर्तमान वेतनमान... 21700–69100

जिला, तहसील और गॉव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकारी/उपहार /अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/ व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ग्राम– किलकोट पो0ओ0 पंत कोटुली तहसील रानीखेत अल्मोडा	1 पैतृक सम्पत्ति		–	–	–	–	–	–

स्थान .....अल्मोड़ा.....
दिनॉक .....03/08/2019.....

हस्ताक्षर .....
अधिकारी/कर्मचारी का नाम श्री विपिन चन्द्र
पद का नाम ....कनिष्ठ सहायक
विभाग ....जिला सूचना कार्यालय अल्मोड़ा।

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाए और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित की जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रुप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हों तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक–पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र

(वर्ष ...2019..... के लिए दिनॉक 01 जनवरी ..2019..... की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा.. श्री हरीश सिंह बिष्ट.....
2. संवर्ग सूचना –(घ)
3. वर्तमान धारित पद..... टैक्नीकल असिस्टेन्ट
4. वर्तमान वेतनमान... 29200–92300

जिला, तहसील और गॉव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकारी/उपहार /अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/ व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. अल्मोड़ा आरतोला कोटली गन्धक गांव	1 पैतृक सम्पत्ति	14 नाली भूमि	–					

स्थान .....अल्मोड़ा.....
दिनॉक ....03/08/2019.....

हस्ताक्षर .....
अधिकारी/कर्मचारी का नाम श्री हरीश सिंह बिष्ट
पद का नाम .... टैक्नीकल असिस्टेन्ट
विभाग ....जिला सूचना कार्यालय अल्मोड़ा।

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाए और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित की जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रुप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक–पृथक अंकित किरते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र

(वर्ष ...2019..... के लिए दिनॉक 01 जनवरी ..2019..... की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा .....तार दत्त पाण्डे.....

2. संवर्ग ...सूचना संवर्ग सूचना –(ग)

3. वर्तमान धारित पद .....वाहन चालक .....

4. वर्तमान वेतनमान... 44900–142400

जिला, तहसील और गॉव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकारी/उपहार /अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/ व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.अल्मोड़ा (सोमेश्वर) गांव भाटनायल ज्युला 2. अल्मोड़ा (शहर)	पैतृक संयुति सम्पत्ति 1 नाली 6 मुट्ठी	श्रीमती जानकी पाण्डे पत्नी	लोन लेकर	1/12/2010	1 लाख 70 हजार	5 लाख रू0	–	–

स्थान .....अल्मोड़ा.....

दिनॉक ....03/08/2019.....

हस्ताक्षर .....

अधिकारी/कर्मचारी का नाम तारा दत्त पाण्डे

पद का नाम ....वाहन चालक

विभाग ....जिला सूचना कार्यालय अल्मोड़ा।

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाए और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित की जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रुप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक–पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधान सवाआ क कामका क द्वारा अचल सम्पात्त का ववरण–पत्र

(वर्ष ...2019..... के लिए दिनॉक 01 जनवरी ..2019..... की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा श्रीमती कमला स्यूनरी
2. संवर्ग सूचना –(घ)
3. वर्तमान धारित पद..... टैक्नीकल असिस्टेन्ट
4. वर्तमान वेतनमान... 21700–69100

जिला, तहसील और गॉव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकारी/उपहार /अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/ व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. अल्मोड़ा स्यूनराकोट, अल्मोड़ा 2. सरकार की आली लोअर माल रोड, अल्मोड़ा	1 पैतृक सम्पत्ति संयुक्त 2. स्वयं की भूमि क्रय की गयी	14 नाली भूमि	सैलरी लोन लेकर भवन निर्माण किया गया।	10/08/2009	15 लाख	20 लाख	शून्य	

स्थान .....अल्मोड़ा.....
दिनॉक ....03/08/2019.....

हस्ताक्षर कमला देवी
अधिकारी/कर्मचारी का नाम श्रीमती कमला स्यूनरी
पद का नाम .... टैक्नीकल असिस्टेन्ट
विभाग ... सूचना निदेशालय, देहरादून।

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाए और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित की जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रुप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक–पृथक अंकित किरते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष 2018-19 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2019 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा रती लाल 2. संवर्ग "ग"
3. वर्तमान धारित पद प्रभारी जिला सूचना अधिकारी 4. वर्तमान वेतनमान 29200-92300

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय / लीज / बंधक / उत्तराधिकार / उपहार / अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति / व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि / वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ग्राम फालक पो० जगाली तहसील छड़ाटे जिला उत्तरकाशी	गांव में पैतृक मकान तीन भाईयों का एवं अन्य पैतृक भूमि एवं सिमूवाला देहरादून में 80 गज में मकान	गांव में पैतृक सम्पत्ति तथा देहरादून में पत्नी श्रीमती [illegible] के नाम	उत्तराधिकारी एल० आई० सी० हाउसिंग फाइनेंस से लोन लेकर क्रय की गई।	सितम्बर 2013	15 लाख	28 लाख	-	

स्थान : बागेश्वर
दिनांक : 28/8/2019

हस्ताक्षर ....
अधिकारी का नाम रती लाल
पद नाम प्रभारी जिला सूचना अधिकारी
विभाग जिला सूचना कार्यालय बागेश्वर

टिप्पणी :
1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति / नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष / प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य / कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य / कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य / कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट / अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष 2018-19 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2019 की स्थिति अनुसार)

1. कर्मचारी/अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा: भरत सिंह रावत 2. संवर्ग: [illegible]
3. वर्तमान धारित पद: वरिष्ठ सहायक 4. वर्तमान वेतनमान: रु 29200-92300 लेवल-5

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
① देहरादून	मकान (150 गज भूमि में)	स्वयं	LICHFL द्वारा ऋण लेकर	2014	11 लाख	20 लाख लगभग	—	रहने के प्रयोजन हेतु

स्थान: बागेश्वर
दिनांक: 22/8/19

हस्ताक्षर: [signature]
कर्मचारी/अधिकारी का नाम: भरत सिंह रावत
पद नाम: वरिष्ठ सहायक
विभाग: सूचना कार्यालय जनपद बागेश्वर

टिप्पणी:

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।